



**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY RECRUITMENT BOARDS**



CORRIGENDUM & AMENDMENTS

**To the detailed Centralized Employment Notice (CEN) No.01/2019
For recruitment of various NTPC Graduate and Undergraduate Posts Published on
Websites of RRBs on 28.02.2019.
Date of Issue-14.03.2019**

With reference to the Detailed Centralized Employment Notice (CEN) No. 01/2019 published on the official websites of Railway Recruitment Boards on 28.02.2019, following Corrigendum/Amendments are made:-

Sl. No.	Item No.	Page No.	As given in the CEN 01/2019	To be read as
1.	6 of Important Instructions-Examination Process	4	Short Listing for Various Stages: RRB wise short listing of candidates for 2nd Stage CBT shall be done at the rate of 20 times the vacancies (may increase or decrease as per the requirement of Railway Administration). The short listing for 2nd Stage CBT will be based on the merit of the candidates in 1st Stage CBT. The short listing for Skill Tests such as Computer based Aptitude Test and Typing Skill Test shall be to the extent of 8 times the vacancies (may increase or decrease as per the requirement of Railway Administration) based on the merit of the candidates in 2nd Stage CBT.	Short Listing for Various Stages: RRB wise short listing of candidates for 2nd Stage CBT shall be done at the rate of 20 times the vacancies (may increase or decrease as per the requirement of Railway Administration). The short listing for 2nd Stage CBT will be based on the merit of the candidates in 1st Stage CBT. The short listing for Skill Tests such as Computer based Aptitude Test and Typing Skill Test shall be to the extent of 8 times the vacancies (may increase or decrease as per the requirement of Railway Administration) based on the merit of the candidates in 2nd Stage CBT. When a candidate is qualified in 1 st Stage CBT and short listed for subsequent stages as OBC/SC/ST/EWS/PwBD, he/she will continue to be considered as OBC/SC/ST/EWS/PwBD respectively in all the subsequent stages.
2.	8.4 (last Para)	13	The candidates applying against the vacancies reserved for EWS must possess Income and Asset Certificate as on closing date of registration of application for this CEN. Accordingly, they have to fill up the certificate number, date of issue of the certificate, issuing authority, district and state of issue in the online application. Further, these candidates are also required to produce valid Income and Asset Certificate during document verification.	The candidates applying against the vacancies reserved for EWS must produce valid Income and Asset Certificate issued by competent authority as per Annexure-III given at page 39 on the date of Document Verification. The certificate should be for the financial year 2017-18 as the last date of registration of applications is 31.03.2019. In case of non-compliance to these stipulations, their claim for

				reserved status under EWS will not be entertained and the candidature / application of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions for General (UR) category, will be considered under General (UR) vacancies only.
3.	8.6	13	Community/EWS status as on the closing date for ONLINE Registration of application for this CEN shall only be considered for availing reservation benefits if eligible and any change in the community/EWS status of the candidate thereafter shall not be entertained.	Community status as on the closing date for ONLINE Registration of application for this CEN shall only be considered for availing reservation benefits if eligible and any change in the community status of the candidate thereafter shall not be entertained.
4.	11.4(b)	17	The qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking examination.	Deleted.
5.	19.6	32	Application under RTI Act: Any Application even under RTI act seeking any information will not be entertained till the completion of the entire recruitment process.	Deleted
6.	21.0	33	MD=Muscular Dystrophy	Deleted.
7.	12(ii) of Annexure V(D)	46	ii) We do hereby undertake that the qualification of scribe is mentioned correctly and the qualification of the scribe is one step below qualification of candidate. In case, subsequently it is found qualification of scribe is not as declared by the candidate, I (the candidate) shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.	Deleted.
8.	Annexure A	50	At the bottom of Annexure A, the abbreviation of MD=Muscular Dystrophy	MD=Multiple Disabilities
9.	Annexure B	70	At the end of Annexure B, the abbreviation of MD=Muscular Dystrophy	MD=Multiple Disabilities

All other terms and conditions of the Centralized Employment Notice CEN 01/2019 including closing date of online registration of applications will remain unchanged i.e. till 31.03.2019 (23.59 hrs)..

No: CEN 01/2019/2 Date: 14.03.2019

**Chairpersons
Railway Recruitment Boards**



भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड



शुद्धिपत्र और संशोधन

विभिन्न एनटीपीसी स्नातक और पूर्व-स्नातक पदों की भर्ती के लिए
दिनांक 28.02.2019 को रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर प्रकाशित

विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2019 के लिए शुद्धिपत्र और संशोधन

प्रकाशन तिथि 14.03.2019

दिनांक 28.05.2019 को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2019 के संदर्भ में निम्नलिखित शुद्धिपत्र/ संशोधन जारी किया जाता है :-

क्र.	मद संख्या	पृष्ठ क्र.	सीईएन 01/2019 में जैसा दिया गया है	संशोधित मद
1.	महत्वपूर्ण निर्देश - परीक्षा प्रक्रिया का मद संख्या 6	4	विभिन्न चरणों के लिए शार्ट लिस्टिंग : द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की रेलवे भर्ती बोर्डवार शॉर्ट लिस्टिंग रिक्तियों के रेलवे) गुना 20 प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ की दर से की जाएगी। (या घट सकती है द्वितीय चरण सीबीटी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग , प्रथम चरण सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होगी। कौशल परीक्षा जैसे कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा और टाइपिंग कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग द्वितीय चरण सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के रेलवे प्रशासन की) गुना 8 आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट (सकती है) तक की जाएगी।	विभिन्न चरणों के लिए शार्ट लिस्टिंग: द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की रेलवे भर्ती बोर्डवार शॉर्ट लिस्टिंग रिक्तियों के 20 गुना (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है) की दर से की जाएगी। द्वितीय चरण सीबीटी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग, प्रथम चरण सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होगी। कौशल परीक्षा जैसे कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा और टाइपिंग कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग द्वितीय चरण सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के 8 गुना (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है) तक की जाएगी। जब कोई उम्मीदवार प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है और बाद के चरणों के लिए अपिव / अजा/ अजजा/ ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूडी के रूप में सूचीबद्ध होता है, तब वह बाद के सभी चरणों में क्रमशः अपिव/ अजा/ अजजा/ ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूडी के रूप में ही विचारणीय होगा।

2.	8.4 (अंतिम अनुच्छेद)	14	ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना हेतु आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों के अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी /आवेदन पर केवल सामान्य) अनारक्षितरिक्तियों (के तहतही विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे सामान्य) अनारक्षितश्रेणी के लिए (सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।	ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पृष्ठ 39 पर दिए गए अनुलग्नक- III के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि को अवश्य प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए होना चाहिए, क्योंकि आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 है। इन शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित रिक्ति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि वे अनारक्षित (अना) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन को केवल अनारक्षित (अना) के अंतर्गत माना जाएगा।
3.	8.6	15	इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के लिए आवेदनों के ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि तक ही समुदाय ईडब्ल्यूएस/ स्थिति के संबंध में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने की स्थिति पर विचार किया जाएगा तथा उसके बाद उम्मीदवार के समुदाय/ ईडब्ल्यूएस की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से उस पर विचार नहीं किया जाएगा।	आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के लिए आवेदनों के ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि तक ही समुदाय की स्थिति विचारणीय होगी तथा उसके बाद उम्मीदवार के समुदाय की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
4.	11.4(ख)	20	स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए।	विलोपित।
5.	19.6	37	आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन : आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी ,आवेदन जो किसी भी जानकारी की माँग करता है, उस पर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक विचार नहीं किया जाएगा।	विलोपित।
6.	21.0	38	एमडी = मांसपेशीय दुर्विकास	विलोपित।
7.	अनुलग्नक V(डी) का 12(ii)	49	ii) हम यह वचन देते हैं कि स्क्राइब की योग्यता का सही उल्लेख किया गया है और स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर कम है। यदि, बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषणा की गई योग्यता जैसी नहीं है, तो मैं (उम्मीदवार) पद के लिए मेरा	विलोपित।

			अधिकार और उसके संबंध में दावे छोड़ दूँगा।	
8.	अनुलग्नक ए	52	अनुलग्नक ए के अंतिम में एमडी = मांसपेशीय दुर्विकास का संक्षिप्त नाम	एमडी = बहु दिव्यांगता
9.	अनुलग्नक बी	72	अनुलग्नक बी के अंतिम में एमडी = मांसपेशीय दुर्विकास का संक्षिप्त नाम	एमडी = बहु दिव्यांगता

केंद्रीकृत रोजगार सूचना सीईएन 01/2019 के लिए आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि, अर्थात् दिनांक 31.03.2019 (23.59 बजे) तथा अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

सं.सीईएन 01/2019/2 दिनांक : 14.03.2019

अध्यक्षगण
रेलवे भर्ती बोर्ड